परिशिष्ट 'पैंतीस'

प्रश्न सं. [क. 2830]

"परिशिष्ट 35"

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन—462004

क्रमांक एफ. ए. 8-1/96/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 1997
17 अक्टूबर 1997

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय : माननीय मंत्रीगणों के जनसंपर्क दौरे-पुनरीक्षित अनुदेश।

माननीय मंत्रीगणों के जनसंपर्क दौरे से संबंधित विस्तृत अनुदेश सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमाक 1546-1614 - एफ (1), दिनांक 3 मई, 1971 द्वारा जारी किये गये थे। इन अनुदेशों में समय-समय पर कुछ संशोधन भी किये गये। वर्तमान स्थिति में इन अनुदेशों के पुनरीक्षण की आवश्यकता महसूस की गई है, अत: पूर्व प्रसारित सभी ज्ञापनों को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन ने निम्नानुसार पुनरीक्षित अनुदेश जारी करने का निर्णय लिया है:—

01. मंत्रीगणों द्वारा जनसंपर्क दौरे उनके प्रभार के आवंटित जिलों में किये जाएंगे।

02. जनसंपर्क दौरे का उद्देश्य यह होगा :—

(क) आम जनता से निकट संपर्क स्थापित करना,

(ख) स्थानीय प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन करना और उनका यथा-संभव निराकरण करना,

(ग) जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करना,

(घ) स्थानीय शिकायतों को यथा-संभव स्थल पर ही दूर करना.

03. मंत्रीगणों के जनसंपर्क दौरों के लिये रुपये 2 00 लाख प्रति विधान सभा क्षेत्र की दर से राशि का आवंटन मांग संख्या-1-2013-मंत्रिपरिषद्-9939-मंत्रियों द्वारा सहायता अनुदान-55 से प्रत्येक वर्ष सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कलेक्टरों को सौंपा जाएगा, जो जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा दिये गये अनुमोदन के आधार पर स्वीकृति जारी करेंगे। स्वीकृति आदेश में प्रयोजन का पूर्ण ब्यौरा रहेगा। यदि अनुदान राशि किसी निर्माण कार्य के लिये स्वीकृत की गई है तो आदेश में स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उसमें जनता का अंशदान (जो धन, सामग्री अथवा श्रमदान के रूप में हो सकता है) कितना होगा। कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुदान राशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन/कार्य के लिये ही हो। अनुदान राशि के लेखे नियमानुसार कलेक्टर द्वारा संधारित किये जाएंगे। लेखाओं का मासिक विवरण सामान्य प्रशासन विभाग तथा महालेखाकार, मध्यप्रदेश को प्रेषित किया जाएगा।

04. जनसंपर्क दौरा अनुदान के अंतर्गत योजनाओं का चयन प्रभारी मंत्री आवश्यकता एवं औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं कर सकेंगे अर्थात् योजनाओं का चयन पूरी तरह जिले के प्रभारी मंत्री के स्वविवेक पर होगा।

* परन्तु जनसंपर्क दौरे के लिए प्रति विधान सभा क्षेत्र आवंटित होने वाली दो लाख पचहत्तर हजार रूपये की राशि में से पचहत्तर हजार रूपये की राशि ऐसे कार्यों के लिए सुरक्षित की जाएगी, जिनकी अनुशंसा सांसद करें ।

* इस विभाग के परिपत्र कमांक एफ ए 8-3/2004/एक(1) दिनांक 10 जुलाई,2006 द्वारा संशोधित

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,

05. जनसंपर्क दौरा अनुदान :—माननीय मंत्रीगण सार्वजनिक उपयोगिता की आवश्यक योजनाओं के लिये निम्नलिखित शर्तों पर वित्तीय सहायता स्वीकृत कर सकेंगे :—

1. अनुदान की राशि एक योजना/कार्य पर रुपये 15,000/- से अधिक नहीं होगी।
2. अनुदान राशि शहरी अथवा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिये स्वीकृत की जा सकेगी। इसके लिये क्षेत्र की जनसंख्या का कोई बंधन नहीं रहेगा।
3. निर्माण कार्य के लिये अनुदान राशि स्वीकृत किए जाने की स्थिति में जनता का अंशदान निर्माण कार्य की कुल लागत का कम से कम 25 प्रतिशत होना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी।
4. अनुदान राशि किसी व्यक्ति या समुदाय विशेष के लाभ के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।
5. अनुदान राशि शासकीय इमारतों की मरम्मत, परिवर्धन और परिवर्तन तथा शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए सामग्री क्रय करने हेतु भी स्वीकृत की जा सकेगी।
6. निर्माण कार्यों के लिये घोषित अनुदान की राशि स्थानीय निकाय को उपलब्ध की जाएगी।
7. अनुदान अनावर्ती प्रकार का होगा। शासन पर आवर्ती दायित्व नहीं होगा।
8. अनुदान का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में नहीं किया गया हो तो अनुदान की राशि लेप्स हो जाएगी। व्यय की स्थानीय लेखा संपरीक्षा की जाएगी।

06. कलेक्टर जिले के प्रभारी मंत्रीगण के लिये जिला स्तर पर विभागवार योजना एवं गतिविधियों की अद्यतन जानकारी रखेंगे। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिलों को जो आवंटन प्राप्त होता है, उसके व्यय की मॉनिटरिंग प्रभारी मंत्रीगण जनसंपर्क दौरे के समय कर सकेंगे।

07. कमिश्नर/कलेक्टर को राज्य शासन द्वारा जो प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार सौंपे गये हैं, उनसे जिले के प्रभारी मंत्रीगण को अवगत कराया जाए, ताकि जिले में भ्रमण के दौरान इस बात की समीक्षा कर सकें कि इन अधिकारियों द्वारा ऐसे अधिकारों का समुचित उपयोग किया जा रहा है.

08. जनसंपर्क दौरे के दौरान निर्माण कार्य तथा स्थानीय मामलों के संबंध में प्राप्त आवेदन एवं शिकायत कलेक्टर को भेजी जाए। इन आवेदन एवं शिकायतों पर कलेक्टर द्वारा नियमानुसार त्वरित कायवाही की जाए। इनके निराकरण का अनुश्रवण जिला जन-शिकायत निवारण प्रकोष्ठ द्वारा किया जावेगा।

09. अन्य आवेदन/शिकायतें राज्य स्तर पर जन शिकायत निवारण विभाग को भेजी जाये. जन शिकायत निवारण विभाग द्वारा शिकायतों के निराकरण का अनुश्रवण किया जाएगा।

10. शासन द्वारा विकास विभागों के बहुत से कार्य पंचायतों तथा ग्राम सभाओं को दिए गए हैं। मंत्रीगण के जनसंपर्क दौरे के समय आम जनता द्वारा ऐसे कार्यों के बारे में बहुत सी मांगें एवं शिकायत मंत्रीगण के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। मौके पर इनके निराकरण निर्देश एवं मार्गदर्शन देने की आवश्यकता को देखते हुए जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रभारी मंत्री के जिले के भ्रमण के दौरान उनके साथ रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना होगा कि जनसंपर्क दौरे के समय पंचायतों को सौंपे गये कार्य/अधिकारों के दायरे में आने वाली विषय-वस्तु पर घोषणा न की जाए अथवा ऐसी घोषणा अवश्य हो ताकि आवश्यकतानुसार ग्राम सभा और पंचायतों के प्रस्तावों के उपरांत ही उन पर कार्यवाही की जा सके।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-1)
मंत्रालय, भोपाल

11. माननीय मंत्रीगण के जनसंपर्क दौरों के अवसर पर जिला स्तर एवं अन्य निचले स्तर के अधिकारियों को उपस्थित रहना चाहिए परन्तु यह एहतियात रखना चाहिए कि पंचायती राज संस्थाओं की बैठक में विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

12. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विरुद्ध जिले के प्रभारी मंत्री को प्राप्त शिकायतों पर कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा की जाए।

13. प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रभारी मंत्री द्वारा प्रशासकीय विभाग के मंत्रियों को भेजे जाएं तथा प्रतिलिपि मुख्य मंत्रीजी को भेजी जाए। विभागीय मंत्री द्वारा इन पर कार्यवाही की जाए।

14. स्थानान्तरण एवं नियुक्ति संबंधी आवेदन जनसंपर्क दौरे के समय न लिए जाएं।

2. मध्यप्रदेश के संसद सदस्य (लोक सभा) के जनसंपर्क दौरे अनुदान की व्यवस्था एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। सभी जिला कलेक्टर इस मद में दिए गए आवंटन की अव्ययित राशि तत्काल सामान्य प्रशासन विभाग को समर्पित करें।

3. यह स्वीकृति ज्ञाप वित्त विभाग के पृ. क्रमांक 1144/SR 805/चार/ब-9/97, दिनांक 17 अक्टूबर 1997 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गोपाल शरण शुक्ल)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. एफ. ए. 8-1/96/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30-9-97
17-10-97

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल की ओर दो अतिरिक्त प्रतियों सहित, अतिरिक्त प्रति महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित करने हेतु अग्रेषित।
2. शासन, समस्त विभाग, भोपाल,
3. सचिव, राज्यपाल, मध्यप्रदेश, भोपाल,
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. समस्त कमिश्नर, मध्यप्रदेश,
6. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
7. निजी सचिव, माननीय उप मुख्य मंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय राज्य मंत्रिगण, मध्यप्रदेश.
8. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, भोपाल,
9. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल,
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
11. [illegible] अधिकारी, मध्यप्रदेश,

(बी. आर. कोवले)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मप्रमु--1435--[illegible]--21-10-97--2,000.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-1)
मंत्रालय, भोपाल.